न्यायालय तहसीलदार राजगढ़ जिला अलवर (राज0)

प्रकरण सं0 118/2022 तारीख दायर :-04.03.2022 दिनांक निर्णय :-15.03.2

सरकार जरिये पटवारी हल्का भजेड़ा तहसील राजगढ़ जिला अलवर

202
55

बनाम

1.भवानी देवी पत्नी रामपाल जाति मीना निवासी भजेड़ा तहसील राजगढ़
2.केलाश पुत्र मनीराम जाति मीना निवासी भजेड़ा तहसील राजगढ़
3.हरिमोहन पुत्र मनीराम जाति मीना निवासी भजेड़ा तहसील राजगढ़
4.रतनलाल पुत्र मनीराम जाति मीना निवासी भजेड़ा तहसील राजगढ़
5.चिरंजीलाल पुत्र नारायण जाति मीना निवासी भजेड़ा तहसील राजगढ़
6.रामखिलारी पुत्र नारायण जाति मीना निवासी भजेड़ा तहसील राजगढ़

आज पत्रावली पेश हुई। प्रकरण का संक्षिप्त में विवरण इस प्रकार है कि पटव हल्का भजेड़ा द्वारा राजस्थान भू0 राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 91 के तहत एक रिपोर्ट इ आश्य की प्रस्तुत की गई कि गैरसायलान भवनी देवी पत्नी रामपाल , केलाश हरिमोहन,रतनलाल पुत्रान मनीराम, चिरंजीलाल, रामखिलारी पुत्रान नारायण जाति मीना निवार भजेड़ा ने वाके ग्राम भजेड़ा की राजकीय चारागाह भूमि के ख0न0 140 रकबा 0.41 हे0 प सरसों की फसल काश्तकर सम्वत् 2078 मे अतिक्रमण कर लिया है।

राजस्थान भू0 राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 91 के अन्तर्गत प्रकरण दर्ज रजिस्ट किया जाकर गैरसायलान को नोटिस जारी किये गये। गैरसायलान की ओर से हरिमोहन उपस्थित आया। गैरसायलान की ओर से नोटिस का कोई जवाब व साक्ष्य सबूत प्रस्तुत नहीं किये गये। गैरसायलान के विरूद्ध इकतरफा कार्यवाही अमल में लायी जाकर बेदखली के आदेश दिये जाते है, साथ ही सरह लगान के 4.77 रू की 50 गुणा राशि 239/-रू पेनल्टी अधिरोपित की जाती है। पटवारी हल्का व भू0अ0 निरीक्षक को निर्देश दिये जाते है कि फसल को कब्जेराज लेकर, फर्दनिलामी वास्ते स्वीकृति प्रस्तुत करने हेतु लिखा जावे। अतिक्रमी को बेदखली कर पालना रिपोर्ट से अवगत करावे। तहसील राजस्व लेखाकार तहसील हाजा व पटवारी हल्का भजेड़ा को राजस्व लेखों में पेनल्टी राशि की मांग कायमी हेतु लिखा जावे।

निर्णय दिनांक 15.03.2022 खुले न्यायालय में सुनाया गया। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो।

ले. स. 4 वर्ष 2021-22
ष्ठ संख्या 06 पर ची. पै. 239/-
कायम किये गये।

(बाबूलाल मीना)
तहसीलदार राजगढ़